12th कृषि एवं सहबद्ध कार्यों हेतु गठित उप समिति की बैठक हेतु एजेंडा

1. शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य में सक्रिय एमएफआई / एनजीओ(MFI/NGO) के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाये।
2. शासकीय व अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में FPOs/FPCs की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।
3. फसलों/ अन्य गतिविधियों की क्षेत्रवार क्षमता / संभावनाओ व संबंधित शासकीय विभागों की उन पर की गयी अनुशंषाओं की जानकारी, समस्त बैंकों को अवगत किया जाना चाहिए।
4. ओर्गनीक फ़ार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा एनजीओ / एफपीओ ओर्गनीक उत्पादों के बाज़ार (फॉरवर्ड लिंकेज) को विकसित किया जाना चाहिए।
5. इंवेस्टमेंट क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए "Single Point Contact Portal " उपलब्ध होना चाहिए, जिससे पूर्ण वैल्यू चैन के स्टॉक होल्डर्स जैसे इनपुट सप्लायर्स, अनुदान तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाले शासकीय विभाग/ संस्थाओ आदि की पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके।
6. शासकीय योजनाओ में प्रमुख कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन एवं मछली पालन के लिए अनुदान का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे इन गतिविधियों की आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ेगी, एवं इन गतिविधियों के लिए बैंकों द्वारा अधिक ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
7. कृषि विभाग द्वारा कस्टम हायरिंग योजना (ट्रैक्टर एवं अन्य उपकरणों को कृषकों को किराए पर उपलब्ध कराना), को एसएमई खंड में वर्गीकृत करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रधमिकता प्राप्त क्षेत्रों (Priority Sector) के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यह योजना कृषि खंड में वर्गीकृत की जाना चाहिए, जिससे बैंकों का कृषि खंड में व्यवसाय बढ़ेगा और बैंकों द्वारा अधिक ऋण उपलब्ध कराया जा सके।
8. कृषि एवं समबद्ध गतिविधियों के लिए उपलब्ध अनुदान की जानकारी संबंधित विभागों द्वारा अपनी साइट पर दी जानी चाहिए, जिसमे गतिविधि के लिए कुल अनुदान, जारी अनुदान एवं उपलब्ध शेष अनुदान राशि का विवरण ज्ञात हो सके।